

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में

सी. एम. पी. संख्या 392/2019

भारत सरकार

...याचिकाकर्ता

बनाम

मैसर्स मिनी कंस्ट्रक्शन

.....उत्तरदाता

कोरम:माननीय न्यायमूर्ति डॉ. एस. एन. पाठक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

याचिकाकर्ता के लिए:श्री महेश तिवारी, अधिवक्ता

05/22.10.2021 जैसा कि प्रार्थित है, दीपावली की छुट्टियों के बाद न्यायालय खुलने के बाद याचिकाकर्ता के विद्वत वकील को कार्यालय द्वारा इंगित कमियों को दूर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है। ऐसा न करने पर, बिना किसी पीठ को भेजे ही यह याचिका अस्वीकार कर दी जाएगी।

(डॉ० एस०एन० पाठक, न्याया०)

आर. कुमार